

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद

## मनरेगा कोषांग

इस कार्यालय के ज्ञापांक-1739 दिनांक 30.08.2012 के द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति को रद्द करते हुए ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-4729 दिनांक 04.06.2007 के द्वारा निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य नियमावली, 2007 एवं संकल्प संख्या-6440 दिनांक 17.07.2012 के द्वारा निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता / अहर्ताधारी इच्छुक भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। रिक्तियों की संख्या निम्नवत है:-

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. लेखा सहायक      | : | 05 (3 अनारक्षित, 01 ओबीसी, 1 अनु जाति) |
| 2. कम्प्यूटर सहायक | : | 02 (1 अनारक्षित, 01 अनु जाति)          |

(रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है)

लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेघा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अहर्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद को वांछित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 25.08.2015 तक निम्न पते पर निबंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,  
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय,  
मिश्रित भवन द्वितीय तल, धनबाद-826001

शैक्षणिक योग्यता

लेखा सहायक	<p><b>(i) अनिवार्य योग्यता-</b> सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी०कॉम आनर्स या बी०कॉम सामान्य न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम०कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p><b>(ii) अतिरिक्त योग्यता -</b> (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुसरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा ए०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।</p>
कम्प्यूटर सहायक	<p><b>(I) अनिवार्य योग्यता-</b> (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। (1) बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स</p>

(2) बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य

(3) बी०सी०ए०

(4) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण ।

(b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा । वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा

(II) अतिरिक्त योग्यता -

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी ।

(b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को सम्मन योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे । पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/ सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा

क- (नोट:- अभ्यर्थी आवेदित पद का नाम लिफाफे पर निश्चित रूप से अंकित करेंगे)

ख- ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड का उल्लेख है वे संबंधित संस्थान से ग्रेड का प्राप्तांक में सम्परिवर्तन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न करेंगे, जिनसे उनके चयन प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न न हो ।

आयु सीमा दिनांक 01.08.2015 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम :-

(क) अनारक्षित वर्ग-35 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -37 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) : 38 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष) : 40 वर्ष

राष्ट्रीयता- आवेदक भारत का नागरिक हो।

आरक्षण :

1- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अ०पि०वर्ग / विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

2- सभी आरखित कोटि के अभ्यर्थियों को आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र जो अनुमण्डल स्तर के पदाधिकारी के द्वारा नियोजन कार्य हेतु निर्गत हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

लेखा सहायक	मासिक मानदेय :	रु० 8000/-
कम्प्यूटर सहायक	मासिक मानदेय :	रु० 8000/-